फर्द अहकाम 54

(नियम 13)

GCMS 2020/00057 08/02/2021

बअदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी वनाम श्री रहमान खाँ

हलका मूका वगताणिह पुत्र श्री भूरे खाँ जाति कोरवाल

निवासी मूका वगताणिह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 54 वर्ष 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुक्म और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका मूका वगताणिह ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत 2077 में मौजा मूका वगताणिह के खसरा नंवर 273 रकवा 1200 वर्ग फीट किस्म भूमि गैर मुमकिन गोचर पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलव किया जावें। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को वमुकाम सिणधरी में पेश हों। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
11-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य हेतु जोधपुर पधारे हैं। पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश हो। 11-01-2021	रहमान खाँ
18-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर दिनांक 27-01-2021 को पेश हो।	

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

Scanned by CamScanner

27-01-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल की तरफ से उनके वकील ने उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दि० 10-2-2021 को पेश हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी आज छिवाना उयूटी पर पधारे है पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश हो।
10-2-2021

17-2-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-02-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब हेतु बार-2 अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नही किये। गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुए पत्रावली फैसल सुमार हो। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

Scanned by CamScanner